न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
रेवती बनाम काशीराम व अन्य प्रतीवादी गण

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.2021	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.03.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण/प्रतीवादी वर्णित आराजी खसरा संख्या 10 रकबा 0.1000 है0 स्थित वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान मे रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 01.03.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) एस. डी. एम. एवं कलेक्टर किशनगढबास (अलवर)	
1-3-21	वकील वादीया उप०। मिसल वास्ते तलबी दि. 5-4-21 को पेश हो। संलग्न तलबाना जारी हो।	

5-4-21 वकील प्रार्थीया। उप०। मिसल वास्ते तलबी दि. 20/4/21 को पेश हो। संलग्न तलबाना जारी हो।

20/4/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब कोरोना ~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।~~
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 29/6/21 को पेश हो।

रीडर

23/6/21....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. कोरोना
अन्य कार्य में व्यस्त ~~[illegible]~~
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 25/8/21
को पेश हो।

25-8-21 वकील प्रार्थी उप० । मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 31-8-21 को पेश हो।

Note Press

31/8/21

अध्य० वकील वादी ने बाद प्रार्थना पर नोट प्रेस किया। दावा वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाकर। फैसल शुमार होकर। दाखिल लेख भण्डार हो।

Scanned with CamScanner